कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रसंग में सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँः–

(1) अपने संगठन की विशिष्टयाकृत्य और कर्त्तव्य :–

छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय का मुख्य कर्त्तव्य है राज्य के युवाओं का सर्वांगीण विकास। निदेशालय अपने इस दायित्व का निर्वहन कई ईकाईयों के माध्यम से करती है। यथा–खेलकूद, एन0एस0एस0, स्काउटिंग एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से/ खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम उन्हें देश के लिए स्वस्थ्य नागरिक बनाते हैं। एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट एवं गाईड के माध्यम से उन्हें अनुशासित, कर्त्तव्यनिष्ठ एवं सामाजिक आपदाओं में भी समाज में कार्य करने योग्य बनाते हैं। उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करते हैं।

(2) अपने अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य :–

क. निदेशक (छात्र एवं युवा कल्याण)– निदेशालय के सभी प्रकार के कार्य–कलापों का निर्धारण, कार्यान्वयन एवं नियंत्रण।

ख. उप निदेशक, युवा कल्याण– निदेशालय स्तर पर निदेशक के कार्यों में सहयोग

ग. सहायक निदेशक, युवा कल्याण– ,, ,,

घ. सहायक निदेशक (क्रीड़ा), गैर जनजाति – राज्य स्तरीय खेलों के आयोजन एवं अनुश्रवण।

ड. प्रमंडलीय उपनिदेशक, शा0 शि0, सरकार के द्वारा निर्धारित प्रमंडलीय गतिविधियों का संचालन।

च. प्रमंडलीय अधीक्षक– प्रमंडल स्तर पर शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा कार्यक्रम, कला एवं संस्कृति कार्यक्रमों के प्रभारी पदाधिकारी रहेंगे।

छ. 1. जिला अधीक्षक, शा0 शि0– जिला स्तर ,, ,, ,,
2. जिला खेल पदाधिकारी – ,, ,,

ज. उपाधीक्षक, शा0शि0 – जिला स्तर पर शा0शि0 तथा कला, संस्कृति कार्यक्रमों के प्रभारी पदाधिकारी रहेंगे एवं जिला स्तर के सभी विद्यालयों में शा0 शिक्षण, क्रीड़ा प्रशिक्षण, स्काउट एवं अन्य विभागीय कार्यक्रमों के निरीक्षी पदाधिकारी का कार्य करेंगे।

झ. कर्मचारीगण :–
निदेशालय स्तर पर संचिका से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन में सहयोग संबंधित अभिलेखों का रख–रखाव।

(3) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जानेवाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान :–
निदेशालय से संबंधित खेल कार्यक्रम का निर्माण एवं उसके आधार पर खेल कार्यक्रमों का संचालन एवं निदेशक के स्तर पर समीक्षा।

(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निदेशिका और अभिलेख :–

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यपालिका नियमावली बिहार सेवा संहिता एवं बिहार शिक्षा सेवा भर्ती नियमावली एवं समय–समय पर सरकार के द्वारा निर्धारित नियमावली के तहत। इसके अतिरिक्त अनेकानेक नियमावली विभाग के कम्पेडियम में संकलित है के आधार पर नियंत्रित होते हैं।

(6) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है प्रवर्गो का विवरणीः–

युवा कार्य खेल निदेशालय के अन्तर्गत अनेक संस्थान हैं– यथा– एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट एवं गाइड, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, जिनकी अपनी मार्गदर्शिका एवं नियमावली हे, जिसके आधार पर विभाग द्वारा संचालन होता है। संबंधित दस्तावेज उसके द्वारा धारित एवं संरक्षित होता है।

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टयाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैः–

सामान्य रुप से विभागीय पदाधिकारी से जो व्यक्ति किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने आता है या बैठक में आते हैं उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाया जाता है उनकी समस्याएँ सुनी जाती है और यथा संभव नियमानुसार उसका समाधान किया जाता है। विभाग में कोई स्वागत कक्ष उपलब्ध नहीं है।

(8) ऐसे वोर्डो, परिवादों समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उनके भाग रुप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन वोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी

विवरण :–

युवा कार्य खेल निदेशालय से संबंधित, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, भारत स्काउट एवं गाइड, खेल संघ एवं स्वंय सेवी संस्थाएँ हैं जिनके कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होती है। पत्रकारों के समय–समय पर इन बैठकों में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है। कार्यवृत्त की सूचनाएँ समचार पत्र के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाती है।

(9) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकार की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपवांधित हो। स्थापना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकार की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में उपबंधित है। अनुक्षेद –। क एवं ख संलग्न है।

(11)(i) सभी योजनाओं में प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिर्पोट की विशिष्टिता उपदरिति करते हुए प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट–

(क) <u>**विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता**</u>– गैर योजना अन्तर्गत लगभग चार दशक पूर्व से यह योजना गतिमान है। विद्यालय में अध्यनरत छात्र/छात्राओं में खेल

प्रतिभा की खोज एवं उन्हें प्रतिभा विकास का अवसर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाना इसका उद्धेश्य है। इस योजना का आरंभ प्रखण्ड स्तरीय प्रतियोगिता से होकर इसका समापन एस0जी0एफ0आई0 द्वारा संचालित विभिन्न खेल विद्यालयों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के रुप में होता है। इसमें विभिन्न आयुवग्र के छात्र/छात्राएँ विभिन्न खेल विधाओं में भाग लेते हैं। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में 30.00 लाख रुपये का बजट उपबन्ध था।

(ख) <u>**ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता**</u>– भारत सरकार द्वारा इस खेल का सूत्रपात–1971 से किय गया है इसमें 16 वर्ष या उससे कम उम्र समूह के ग्रामीण महिला ओर पुरुष विभिन्न खेल विधाओं में भाग लेते है। इस प्रकार ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज एवं उन्हें प्रोत्साहन का अवसर प्रदान किया जाता है।

इसका आयोजन प्रखण्ड स्तर से जिला राज्य एवं अंत में राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा इस खेल कार्यक्रम के आयोजनार्थ राशि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को अनुदान के तौर पर दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में ग्रामीण एवं महिला खेल प्रतियोगिता का समेकित योजना उद्व्यय एवं बजट प्रावधान 30.00 लाख रुपये का है।

(ग) महिला महोत्सव– अन्तराष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 से भारत सरकार द्वारा महिला महोत्सव के रूप में महिला खेल कूद का आयोजन किया गया। इस राज्य में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा इसका आयिोजन प्रखण्ड स्तर से राज्य स्तर पर किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य टीम की सहभागिता कराई जाती है।

(घ) खेल सम्मान समारोह का आयोजन :– खिलाड़ियों को उत्प्रेरित करने के उद्धेश्य से राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य के ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को सम्मानित करने के उद्धेश्य से खेल सम्मान समारोह प्रतिवर्ष मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन 29 अगस्त को आयोजित किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत खिलाड़ियों का सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र, ताम्रपत्र एवं नगद राशि दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस कार्य हेतु 5.00 लाख रुपये का योजना उद्व्यय था।

(च) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन :–

विभिन्न स्तर पर चयनित खिलाड़ी ही राष्ट्रीय/अन्तर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का अवसर प्राप्त कर पाते है तथा उत्कृष्ट खेल कौशल से परिचित हो पाते हैं। वैसे खिलाड़ी जिनका चयन राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नहीं हो पाता उनके लिए सरकार एवं संबंध खेल संघों द्वारा राज्य के अन्तर राष्ट्रीय/अन्तर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के खेलों का आयोजन किया जाता है। ताकि राज्य के खिलाड़ी उत्कृष्ट खेल कौशल देखकर उन्नत तकनीकी से परीचित हो सके । इस कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2006–07 में 10.00 लाख का बजट उपबन्ध है।

(छ) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ियों की सहभागिता:–

राष्ट्रीय एवं अन्तर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित क्रीड़ा प्रति स्पर्धाओं में राज्य के खिलाड़ियों एवं खेल दलों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। इससे राज्य की प्रतिष्ठा एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में 10.00 लाख रुपये बजट प्रावधान किया गया है।

(ज) **खिलाड़ी कल्याण कोष**:– इस योजना अन्तर्गत खिलाड़ियों के आर्थिक मानसिक एवं सामाजिक कल्याण हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

वैसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तर राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित किया है उनके लिए यथोचित सुविधाओं के विकास एवं खेल क्षमता के उतरोत्तर उत्थान हेतु व्यवस्था तथा उनकी अस्वस्थता की स्थिति में इलाज आदि हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में 5.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है।

(झ) राज्य के सभी राजकीय/राजकीयकृत उच्च विद्यालयों में खेलकूद को प्रोत्साहन– इस योजना का शुभारंभ 2005–06 में किया गया । राज्य के सभी उच्च विद्यालय को खेल कूद के बढ़ावा देने के उद्धेश्य से पुरस्कार राशि के रूप में राशि उपलब्ध कराई जाती है।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस योजना अन्तर्गत 25.00 लाख रुपये का बजट उपबन्ध है।

(ट) राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में खेलकूद का प्रोत्साहन :–

विश्वविद्यालय में खेलकूद को पुनर्जीपित करने के उद्धेश्य से पुरस्कार एवं प्रोतसाहन योजना का शुभारंभ 2005–06 में किया गया। इस योजना के तहत् राज्य के नौ विश्व विद्यालयों में खेल प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान किया जाता है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस योजना अन्तर्गत 9.00 लाख रुपये का बजट उपबन्ध है।

(ठ) राष्ट्रीय सेवा योजना :– राज्य के सभी विश्व विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम चलाया जाता है। इस योजना का संचालन केन्द्र एवं राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से होता है। खर्च के वहन का अनुपात 7:5 का है। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर राज्य परामर्शदातृ समिति है, जिसकी बैठक बुलाई जाती है एवं समिति के निर्णयानुसार कार्यक्रम संचालित किया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों के छात्र/छात्रा पठन–पाठन के अलावा शिविर आयोजित कर सामाजिक कार्यक्रम करते हैं।

(ड) स्पोर्टस कम्पलेक्स, कंकड़बाग, पटना का निर्माण– स्पोर्टस कम्पलेक्स कंकड़बाग, पटना का निर्माण किया जा रहा है। चहारदिवारी का निर्माण किया जा चुका है। यह परियोजना 1599.00 लाख की जो बढ़कर आज 32,55,07,000/– करोड़ की हो गई है। इस कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग के 5,47,00,000/– रुपये उपलब्ध कराया जा चूका है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस कार्य हेतु 5.00 करोड़ रुपये का बजट उपबन्ध है राशि की निकासी प्रक्रियाधीन है।

(ढ) स्पोर्टस कम्पलेक्स, सहरसा का निर्माण– स्पोर्टस कम्पलेक्स सहरसा का निर्माण किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है यह परियोजना 2,82,75,000/–

रुप्ये का है। इस कार्य के लिए भवन निर्माण विभाग को 2006–07 तक कुल 103.00 लाख रुपये की राशि उपलबध करा दी गई है।

(ण) मोईनुल हक स्टेयिम, पटना का अनुरक्षण एवं रख–रखाव– मोईनुल हक स्टेडियम, पटना का अनुरक्षण एवं विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में 30.00 लाख रुपये का बजट उद्व्यय है। स्टेडियम का रख रखाव नितान्त आवश्यक है। इसे राष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

(त) स्पोर्ट्स कम्पलेक्स छपरा का निर्माणः– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में राज्य के खेल संरचनाओं को विकसित करने के उद्धेश्य से सारण प्रमंडलीय मुख्यालय, छपरा में एक स्पोर्ट्स कम्पलेक्स निर्माण की योजना है। इसके निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, छपरा से स्थल का चयन, नक्शा एवं प्राक्कलन की मांग की गयी है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस कार्य हेतु 50.00 लाख रुपये का बजट उपबन्ध है।

(थ) राज्य में पूर्व निर्मित स्टेडियम का अनुरक्षण एवं विकास :– वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस कार्य हेतु कुल 75.00 लाख रुपये का बजट उपबन्ध है। जिन जिलों से पूर्व निर्मित स्टेडियम के जिर्णोद्वार हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसके लिए स्टेडियम के जीर्णोद्धार एवं विकास हेतु 75.00 लाख रुपये विभिन्न जिला का कर्णाकिंत कर दिया गया है। संबंधित जिला के जिला पदधिकारी से प्राक्कलन की मांग की गई है।

(द) जिला/अनुमंडल स्तरीय स्टेडियम का निर्माण– राज्य सरकार की योजना है कि सभी जिला मुख्यालय एवं अनुमंडल मुख्यालय में क्रमशः स्टेडियम का निर्माण किया जाय। इस योजना के तहत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 250.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है। जिन जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उस पर विचार करते हुए विभिन्न जिला/अनुमण्डल को 247.00 लाख रुपये की राशि कर्णाकित कर संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचित किया गया है एवं प्राक्कलन की मांग की गई है।

12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्रहियों के व्यौरे सम्मलित हैं :–

सहायिकी कार्यों का निष्पादन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा पदस्थापित एवं प्रतिनियुक्त कर्मियों के द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, वित्त विभाग योजना एवं विकास विभाग के नियमानुसार विशेष परिस्थितियों में विधि की सहमति प्रामर्श प्राप्त कर कार्य का सम्पादन होता है।

13. अपने द्वारा अनहत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारियों के प्राप्तिकर्त्ताओं की विशिष्टयाँ:– विभाग से संबंधित नहीं है।

14. किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में व्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।

विभागीय वेवसाईट –http://yac.bih.nic.in

फैक्स संवाद– 0612– 2230173

दूर संचार– 0612– 2221384, 2211619 के माध्यम से सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती है।

15. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुवधिाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मलित हैं:–

छात्र एवं युवा निदेशालय के अन्तर्गत कोई पुस्तकालय या वाचन कक्ष की व्यवस्था नहीं है। कार्यालय कार्य अवधि में विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचनाए मौखिक या लिखित रूप में नियमानुसार उपलब्ध कराई जाती हैं

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम/पदनाम और अन्य विशिष्टयाँ :–

क. श्री अंजनी कुमार सिंह, भा0प्र0से0 अपीलिय पदाधिकारी सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार, पटना	सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार, पटना
ख. श्री अब्दुर रहमान लोक सूचना पदाधिकारी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, विकास भवन, पटना–15	निदेशक–सह–संयुक्त सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार।
ग. श्री महेन्द्र प्रसाद यादवेन्द्र सहायक लोक सूचना अधिकारी सहायक निदेशक, युवा कल्याण	सहायक निदेशक, युवा कल्याण निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

क्षेत्रीय कार्यालय–

क. प्रमण्डलीय उपनिदेशक/ प्रमण्डलीय अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा	प्रमण्डल स्तर पर
ख. जिला खेल पदाधिकारी/ उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा	जिला स्तर पर
ग. निदेशक सह सचिव	बिहार राज्य खेल प्राधिकरण
घ. सचिव	बिहार संगीत नाटक अकादमी
ड. सचिव	बिहार ललित कला अकादमी
च. संग्रहालयाध्यक्ष	संबंधित जिला के संग्रहालय

17. ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इस प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्‌यतन करेगा।
    - क. खेल कार्यक्रम का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जाता है।
    - ख. विभागीय कार्य कलापों का वार्षिक प्रतिवेदन।
    - ग. राज्य खेल नीति का निर्माण प्रक्रियाधीन है, जिसका प्रकाशन किया जायेगा।
    - घ. राज्य युवा नीति का निर्माण प्रक्रियाधीन, जिसका प्रकाशन किया जायेगा।
    - च. अन्यान्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सांस्कृतिक कार्य निदेशालय से सम्बंधित सूचना सामग्री

1. निदेशालय की विशेषता एवं कार्य :– सांस्कृतिक कार्य निदेशालय का गठन वर्ष 1986 में हुआ। इस निदेशालय के गठन के पीछे मूल उद्देश्य था– राज्य में कला, संस्कृति का संरक्षण, संवर्द्धन एवं इसका विकास। निदेशालय अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सतत प्रयत्नशील है।

2. निदेशालय की कर्मचारियों/पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य :– सांस्कृतिक कार्य निदेशालय अपने गठन काल से अभी तक शैश्वावस्था में ही है। इसके अन्तर्गत निदेशक(सांस्कृतिक कार्य) का एक पद तथा 2 सहायक निदेशक (कला/संस्कृति) का पद सृजित है। फिलहाल सहायक निदेशक (संस्कृति) के पद पर श्री संजय कुमार सिंह एवं सहायक निदेशक (कला) के पद पर श्री विजय पासवान कार्यरत हैं। कार्यरत कम्रचारियों/पदाधिकारियों द्वारा कला–संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास के कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

3. विनिश्चिय करने की प्रक्रिया :– किसी प्रकार की वित्तीय सहायता, कार्यक्रमों के आयोजन, कलाओं के संरक्षण आदि मामलों में विभिन्न समितियों की अनुशंसा के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। आवश्यकता आधारित एवं जनहित/लोकहित को ध्यान में रखकर ही अंतिम निर्णय लिए जाते हैं।

4. कार्यों के निर्वहन हेतु मापमान :– कार्यों के निर्वहन में विषय को ध्यान में रखते हुए मापमान बनाए जाते हैं– जैसे– बड़े कार्यक्रमों के आयोजन हेतु एक राज्यस्तरीय आयोजन समिति का गठन। छोटे आयोजन हेतु– कार्यक्रम समिति का गठन किया जाता है। कलाकारों के चयन हेतु प्रतियोगिता का आयोजन एवं चयन समिति का गठन। निविदाओं के मामले में निविदा उप समिति का गठन किया जाता है। संस्थाओं को अनुदान के मामले में अनुदान समिति गठित है।

5. कार्य निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका अभिलेख :–
इसके तहत निम्नांकित है :–

1. अनुदान हेतु :– (क) मार्गदर्शक सिद्धान्त
   (ख) अनुदान समिति
2. अकादमी के संचालन हेतु :– स्मृति पत्र/नियमावली
3. बड़े आयोजन हेतु :– राज्य स्तरीय कार्यक्रम समिति
4. अन्य कार्य :– सरकार द्वारा निर्धारित कार्यपालिका अधिनियम के तहत।

6. दस्तावेजों/वर्गों का विवरण :– पदों का सृजन एवं नियुक्ति/पदोन्नति से सम्बंधित नियमावली निर्माणाधीन है।

7. जनता के सदस्यों से परामर्श एवं उनके अभ्यावेदन पर विचार:–
लोकहित एवं जनहित के कार्यों पर ध्यान केन्द्रीत करने की दृष्टि से एक जनशिकायत कोषांग का गठन संयुक्त सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अध्यक्षता में की गई। आम जन अपना आवेदन/शिकायत इस कोषांग में दर्ज करा सकते हैं।

8. सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के अन्तर्गत निम्नांकित निकाय गठित है :–
(1) बिहार संगीत नाटक अकादमी :– इस अकादमी में एक सामान्य पर्षद एवं कार्यकारी पर्षद गठित है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहायक सचिव, पदेन सदस्य तथा सामान्य सदस्य हैं। सामान्य सदस्य के तहत जनता के प्रतिनिधि के तौर पर विभिन्न विधाओं के कलाकार होते हैं। यह अकादमी प्रदर्श कला के संरक्षण,

संवर्द्धन, शोध एवं विकास के लिए कार्य करती है। अकादमी का कार्यालय प्रेमचंद रंगशाला, राजेन्द्रनगर, पटना–16 में अवस्थित है।

(2) बिहार ललित कला अकादमी :– इसका गठन चाक्षुष कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास के लिये हुआ है। उपरोक्त की भांति इसका भी सामान्य पर्षद एवं कार्यकारी पर्षद है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, पदेन सदस्य, सामान्य सदस्य आदि होते हैं। यह अकादमी भी प्रेमचंद रंगशाला में अवस्थित है।

(3) भारतीय नृत्य कला मंदिर :– इसके तहत प्रबंधकारिणी समिति एवं कार्यकारी पर्षद गठित है, जिसके अध्यक्ष तथा सचिव क्रमशः महामहिम राज्यपाल, बिहार एवं सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग है। यह संस्था नृत्य प्रशिक्षण के लिए जिम्मेवार है। यहाँ विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

9. अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका :– बिहार कार्यपालिका अधिनियम के तहत अपने–अपने कार्यों का निर्वहन किया जाता है।

10. कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक/प्रतिकार की स्थिति निम्नवत है :–

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकार की प्रणाली भी है, जो इसके विनियमों में यथा उपबंधित हो :–

1. संजय कुमार सिंह सहायक निदेशक(संस्कृति) (7500–12000)
2. विजय पासवान सहायक निदेशक(कला) (7500–12000)
3. रवीन्द्र प्रसाद सिन्हा विपत्र लिपिक (4500–125–7000)

11. <u>विभिन्न योजनाएँ/प्रस्तावित व्यय/बजटीय विवरण</u>

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएं क्रियान्वित है :–

		कर्णांकित राशि (लाख में)	प्रस्तावित व्यय (लाख में)
1.	अल्प सूचना पर सांस्कृतिक कार्यक्रम	10.00	10.00
2	अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान	10.00	10.00
3	गणतंत्र/स्वतंत्रता दिवस समारोह	2.00	2.00
4	बिहार संगीत नाटक अकादमी को प्रदर्श कला के कार्यक्रम हेतु अनुदान	30.00	30.00
5	बिहार ललित कला अकादमी को चाक्षुष कला के कार्यक्रम	15.00	15.00

	हेतु अनुदान		
6	भारतीय नृत्य कला मंदिर का सौंदर्यीकरण एवं विकास	20.00	20.00
7	प्रदर्श एवं चाक्षुष कला में अकादमी पुरस्कार	5.00	5.00
8	चाक्षुष एवं प्रदर्शकला से संबंधित प्रकाशन	6.00	6.00
9	चाक्षुष एवं प्रदर्श कला से संबंधित प्रलेखण	10.00	10.00
10.	बिहार सांस्कृतिक महोत्सव	50.00	50.00
11	पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता एवं उत्तर मध्य सांस्कृतिक केन्द्र इलाहाबाद को कॉरपस फंड	100.00	100.00
12	कलाकार कल्याण कोष	5.00	5.00
13.	राष्ट्रीय युवा महोतसवों एवं अन्य उत्सवों में राज्य की सहभागिता	5.00	5.00
14.	उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम	7.00	7.00
15	बहुद्देशीय सांस्कृतिक परिसर का निर्माण	50.00	50.00
16	भगवान बुद्ध के 2550 वें महापरिनिर्वाण वर्ष का कार्यक्रम	100.00	100.00
		425.00	425.00

12. सहायक अनुदान के कार्यक्रम की विवरणी :–

निम्नांकित संस्थाओं को सहायक अनुदान दिये जाते हैं :– देय राशि

1. बिहार संगीत नाटक अकादमी – 7.00 लाख
2. बिहार ललित कला अकादमी – 7.00 लाख
3. भारतीय नृत्य कला मंदिर – 18.00लाख
4. पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता एवं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र इलाहाबाद – 100.00लाख
5. विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं को– 15.00लाख

13. अनुदत रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ :–

राजधानी, पटना में कुछ प्रेक्षागृह जैसे भारतीय नृत्य कला मंदिर, कालीदास रंगालय, रवीन्द्र परिषद्, विद्यापति भवन, प्रेमचंद रंगशाला आदि को समय–समय पर अनुदान दिया जाता है। अतः आम कलाकारों को इन प्रेक्षागृहों में निःशुल्क अथवा रियायत के आधार पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है। सांस्कृतिक वातावरण कायम करने हेतु कई ऐसे इच्छुक संस्थाओं को कार्यक्रम करने हेतु उपरोक्त प्रेक्षागृह मुहैया कराए गए हैं।

14. इलेक्ट्रोनिक सूचना का माध्यम :– विभागीय वेबसाईट ीजजचरूध्ध्इपींतण्इपीण्दपबण्पदध्लंबइपींत पर सारी सूचनाएँ उपलब्ध है।

15. सूचना प्राप्त करने हेतु सुविधाएँ :–

(1) श्री अब्दुर रहमान, संयुक्त सचिव सह लोक सूचना पदाधिकारी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, नया सचिवालय, पटना का कार्यालय

(2) श्री संजय कुमार सिंह एवं श्री विजय पासवान, सहायक निदेशक (संस्कृति / कला) का नया सचिवालय स्थित कार्यालय।

(3) कार्यालय दिवस में किसी भी समय सूचना सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

16. लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम :–
श्री अब्दुर रहमान,
संयुक्त सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।

17. अन्य सूचनाएँ :– सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के अधीन कार्यरत बिहार संगीत नाटक अकादमी एवं बिहार ललित कला अकादमी द्वारा प्रदर्श एवं चाक्षुष कला से सम्बंधित कार्यक्रमों की स्मारिका प्रकाशित की जा रही है। यह प्रगति प्रतिवेदन से सम्बंधित स्मारिका त्रैमासिक है। यह प्रत्येक वर्ष अद्यतन होगा।

(2) भगवान बुद्ध के 2550 वें महापरिनिर्वाण वर्ष में राज्य के प्रमुख बौद्ध स्थलों यथा– राजगीर, बोधगया, नालंदा, वैशाली, विक्रमशीला, केसरिया में बुद्ध के जीवन से सम्बंधित कार्यक्रम पूरे कर लिए जाने का निर्णय है। महापरिनिर्वाण वर्ष का समापन समारोह अप्रैल–07 के अंतिम सप्ताह में आयोजित होंगे, जिस अवसर पर एक समेकित स्मारिका का भी प्रकाशन होगा।

अनुच्छेद- 1 'क'

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के नियंत्रणाधीन छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों की विवरणी

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	श्रेणी	पदों की संख्या	संवर्ग	वेतनमान	मंतव्य/अभ्युक्ति
01.	श्री अब्दुर रहमान	निदेशक	I	I	गैर संवर्गीय		बि0प्र0से0
02.	श्री श्री राम जपन राय	उप निदेशक युं0का0)	I	I	बि0शि0से0	10000-15200	वर्तमान पदस्थापित उ0नि0 वर्ग-।।। श्रेणी के 5500-9000 वेतनमान के हैं।
03.	श्री महेन्द्र प्रसाद यादवेन्द्र	स0नि0 यु0का0)	II	I	,,	6500-10500	वर्तमान पदस्थापित स0नि0 वर्ग-।।। श्रेणी के है। वेतनमान 10000-15200 में द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान प्राप्त अ0शि0से0) के हैं।
04	श्री राम जपन राय	स0नि0 कीड़) गैर जै0ज0जा0क्षेत्र	II	I	,,	,,	,,
क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी प्रमंडलीय उप निदेशक, शा0शि0							
01	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	प्र0उ0नि0शा0शि0, मुजफ्फरपुर	I	-	बि0शि0से0	10000-15200	,,
02	श्री अर्जून शर्मा	,, ,, भागलपुर	I	-	,,	,,	,,
03	श्री बैधनाथ प्रसाद	,, ,,, पटना	I	-	,,	,,	,,
प्रमंडलीय अधीक्षक, शा0शि0 -4 पद							
01	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	प्रमंडलीय अ0शा0ह्श0, सारण	II		,,	6500-10500	
02	श्री दीनबन्धु शर्मा	,, ,,, मगध, गया	II				
03	श्री विश्वनाथ साह	,, ,,, कोशी	II		,,	,,	
04	श्री नागेन्द्र महतो	,, ,, दरभंगा	II		,,	,,	,,
	जिला अधीक्षक शा0शि0-3 पद						
01	श्री अशोक कुमार	थ्जला अधी0 शा0शि0, पटना	II		,,	,,	,,
02	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	प्रभारी ,, , मुजफ्फरपुर	II		,,	,,	,,
03	श्री अर्जून शर्मा	,, ,,, भागलपुर	II		,,	,,	,,
	जिला खेद पदा0-15 पद						
01	श्री महेश्वर चौधरी	जि0खे0पदा, वैशाली	II	-	,,	6500-10500	अ0शि0से0 संवर्ग के वर्ग-।।। के पदाधिकारी पदस्थापित है 10000-15200 वेतनमान, द्वितीय ए0सी0पी0 प्राप्त।
02	श्री गंगोत्री चौधरी,	,, बेतिया	II	-	-	,,	,,
03	श्री रजनीकान्त पोद्दार	,, सहरसा	II	-	-	,,	,,
04.	श्री सुशील चन्द्र कुल्लू	,, नवादा	II	-	-	,,	,,
05	श्री चन्द्रिका शर्मा	,, गया	II	-	-	,,	,,
06	श्री सत्य ना0 प्र0 सिंह	,, भागलपुर	II	-	-	,,	,,
07	श्री कपिलेश्वर	,,, सारण	II	-	-	,,	,,
08	श्री धनेश्वर ठाकुर	,, समस्तीपुर	II	-	-	,,	,,
09	श्री शोभाकान्त शर्मा	थ्जला खेल पदा0, मुजफ्फरपुर	II	-	-	,,	,,

10	श्री विश्वनाथ साह,	प्रभारी, जिला खेल पदा0, पूर्णिया	II	-	-	,,	,,
11	श्री नागेन्द्र महतो	,, ,, दरभंगा	II	-	-	,,	,,
12	श्री कृतिनाथ गुप्ता	,, सीवान	II	-	-	,,	,,
13.	श्री बलवीर यादव	,, भोजपुर	II	-	-	,,	अ0शि0से0 क्रीड़ा संवर्ग-वर्ग III के पदा0 पदस्थापित
14.	श्री कृष्णानंद जायसवाल	,, पटना	II	-	-	,,	,,
15.	श्री अरूण कुमार	,, मुगेर	II	-	-	,,	गैर संवर्ग क्रीड़ा प्रशिक्षक वर्ग-III के पदा0
क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी - उपाधीक्षक 23 पद							
1.	श्री वीरेन्द्र पोद्धार	उपाधीक्षक, शा0शि0, कटिहार	III		अ0शि0से0	5500-9000	
2.	श्री जय किशोर सिंह	,,, मधेपुरा	,,	-	,,	,,	
3.	श्री कृष्णा प्रसाद साह	,, गोपालगंज	,,	-	,,	,,	
4.	श्री चन्द्रशेखर सिंह	,, खगड़िया	,,	-	,,	,,	
प्रभार में उपाधीक्षक शा0शि0 का पद 19 जिला							
1.	श्री बैजनाथ प्रसाद	प्रभारी उपा0शा0शि, नालंदा	III		अ0शि0से0	5500-9000	
2.	श्री गंगोत्री चौधरी	,, बेतिया एवं मोतिहारी	,,	-	,,	,,	
3.	श्री महेश्वर चौधरी	,, वैशाली	,,	-	,,	,,	
4.	श्री विश्वनाथ साह	,, पूर्णिया	,,	-	,,	,,	
5.	श्री रजनीकान्त पोद्धार	,, सहरसा	,,	-	,,	,,	
6	श्री नागेन्द्र महतो	,, दरभंगा एवं मधुबनी	,,	-	,,	,,	
7	श्री सुशील चन्द्र कुल्लू	,, नवादा	,,	-	,,	,,	
8.	श्री चन्द्रिका शर्मा	,, गया	,,	-	,,	,,	
9.	श्री दीनबन्धु शर्मा	,, औरंगाबाद	,,	-	,,	,,	
10.	श्री सत्यनारायण प्रसाद	,, भागलपुर	,,	-	,,	,,	
11.	श्री कपिलेश्वर	,, सारण, छपरा	,,	-	,,	,,	
12.	श्री कृष्ण मोहन पाण्डेय	,, रोहतास	,,	-	,,	,,	
13.	श्री धनेश्वर ठाकुर	,, समस्तीपुर	,,	-	,,	,,	
14.	श्री कृति नाथ गुप्ता	,, सीवान	,,	-	,,	,,	
15.	श्री शोभा कान्त शर्मा	,, सीतामढ़ी	,,	-	,,	,,	
16	श्री बलवीर यादव	,, भोजपुर	,,	-	,,	,,	
1.	शा0शि0 अनुदेशक राजकीय बालक/बालिका उच्च विधालय		111	51			51 पद अनु0शा0शि0 रा0 बालक/बालिका रिक्त
राजकीय स्वास्थय एवं शा0शि0 महाविघालय, विहार, पटना में पदस्थापित पदाधिकारी							
1	श्री अरूण कुमार विधार्थी		प्राचर्य	I	वि0शि0से0	1000-15200	अ0शि0से0वर्ग III के पदा0 वर्तमान में पदस्थापित है। 5500-9000 वेतनमान का द्वितीय ए0सी0पी0 1000-15200 का वेतनमान प्राप्त
2.	श्री कृष्ण मोहन पाण्डे		व्याख्याता	II	,,	6500-10500	,,
3	श्री बालमुकुन्द सिंह		अनुदेशक	III	,,	5500-9000	,,

1.	श्री अजय कुमार बोस, मोईनुल हक स्टेडियम, पटना	प्रभारी प्रबंधक	।।	,,	6500-10500	गैर संवर्गीय प्रशिक्षक वर्ग-।।। का वेतनमान 5500-9000 पदस्थापित है।

नोट- उपरोक्त 'क' + 'ख' में वर्णित पदाधिकारियों में से क्रमांक क) के 1 एक) को छोड़कर सवों को रिक्त पदों के विरुद्ध प्रभारी के रुप में कार्यरत हैं।